न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 227/2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए

कुलदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

बनाम — वादी

1. रणजीत सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन मुण्डा
2. जगरूप सिंह पुत्र नन्द सिंह साकिन चकप्रतापनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. श्रीमान् शाखा प्रबंधक शाखा ओ.बी.सी. बैंक संगरिया, जिला हनुमानगढ़
4. श्रीमान तहसीलदार राजस्व महोदय, संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री सरजोधन सिंह खोसा वकील वादी
2— श्री गुरलाल सिंह मान — वकील प्रति सं. 1
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया— राज—पैरोकार प्रति.संख्या 4

निर्णय

दिनांक :— 24.05.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के नाम चक 8 एम.जे.डी. खाता स. 82/20 सांझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी खातेदार काश्तकार है उक्त चक की जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है कुल आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है कि चक 8 एम.जे.डी. खाता सं. 82/20 प.नं. 149/182 मु.नं. 31 किला नं. 6/0.228है. 15/0.228है. कुल 0.506है. मय गै.मु. वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित आराजी का सहखातेदारों के साथ घरू विभाजन कर रखा है वादी का कब्जा काश्त की आराजी चक 8 एम.जे.डी. खाता सं. 82/20 प.नं. 149/182 मु.नं. 31 किला नं. 6/0.228है. 15/0.228है. कुल 0.506है. मय गै.मु. वादी ने चक 8 एम.जे.डी. की 0.506है. आराजी प्रतिवादी सं. 2 के पिता नन्द सिंह से दिनांक 05/01/2001 को जरिए बैयनामा खरीद की थी। खरीद के रोज से लेकर वादी के उक्त आराजी कब्जा काश्त में निरन्तर व लगातार चली आ रही है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपना खाता अलग कायम करवा लिया है और उनका राजस्व रिकार्ड में नाम विलोपित होने से रह गया है वादी की उक्त आराजी सांझाखाता में होने से रकमराज इत्यादि को लेकर विवाद रहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से गत सप्ताह निवेदन किया कि वादी की कब्जा काश्त मुताबिक आराजी का खाता अलग कायम करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देंवे तो स्पष्ट इनकार हो गए यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 सह खातेदार होने की वजह से पक्षकार बनाए गए है। प्रतिवादी सं. 4 को भूमि धारक होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। वादी का वाद खाता [illegible] जो कि उचित न्याय शुल्क पर पेश है और अंदर मियाद व न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात [illegible] फरमाया जावे कि चक 8 एम.जे.डी. खाता सं. 82/20 प्रतिवादी सं. 1 ता 2 का नाम [illegible] कर प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum[illegible]
Meena
Date: 2024.05.30 16:03:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर रिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी सं. 3 के उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कुलदीप सिंह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 8 एम.जे.डी. खाता सं. 82/20 जमाबन्दी सम्वत 2068–71 एवं बैयनामा की फोटो प्रति पेश की गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी के नाम चक 8 एम.जे.डी. खाता सं. 82/20 सांझाखाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी वादी ने प्रतिवादी सं. 2 के पिता नन्द सिंह से जरिए बैयनामा खरीद की थी। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी के नाम चक 8 एम.जे.डी. खाता सं. 82/20 सांझाखाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी प्रमाणित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में मुताबिक सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– वादी कुलदीप सिह पुत्र बलदेव सिह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया के चक 8 एमजेडी के प.न. 149/182 मु.न. 31 किला नम्बर 06/1/0.228 है. किला नं. 6/2/0.025 है. गै. मु. खाला, किला नं. 15/1/0.228 है. किला नं. 15/2/0.025 है. गै.मु. खाला की आराजी का खाता अलग कायम करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कुलमजन किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से तैयार होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। स्वयं पक्षकारान ... सुनाकर करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:03:40 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official